न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 02/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाजी जाति माली निवासी जोयला पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.11.2021 को सरहद जावाल–गोल रोड पर एक पिकअप वाहन नं. आरजे 24 जीए 4901 के पीछे रखे 11 प्लास्टिक के ड्रम व एक 50 लीटर की जरीकन में लगभग 2250 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा ने वकालतनाम पेश किया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 25.11.2021 को जावाल–गोल रोड पर गोल साईड से आते हुए श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाजी जाति माली निवासी जोयला पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 24 जीए 4901की पिछली बॉडी के अन्दर 11 प्लास्टिक के ड्रम, जिनमें प्रत्येक में 200 लीटर पेट्रोल एवं एक 50 लीटर की जरीकन में लगभग 2250 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 2250 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं उक्त पिकअप वाहन के आगे–आगे एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटरसाईकिल से एस्कोट कर रहा था, जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही होना बताया। अप्रार्थी से उंक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के

जिला कलक्टर, सिरोही

बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के पेट्रोल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त पेट्रोल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त पेट्रोल को यदि जब्त सरकार किया गया तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त पेट्रोल को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस प्र मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 25.11.2021 को जावाल–गोल रोड पर गोल साईड से आते हुए श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाजी जाति माली निवासी जोयला पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 24 जीए 4901 की पिछली बॉडी के अन्दर 11 प्लास्टिक के ड्रम, जिनमें प्रत्येक में 200 लीटर पेट्रोल एवं एक 50 लीटर की जरीकन में लगभग 2250 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 2250 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं उक्त पिकअप वाहन के आगे–आगे एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटरसाईकिल से एस्कोट कर रहा था, जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही होना बताया। अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को हाईवे पर चलने वाले टेंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर तथा अपने कुंए पर ड्रमों में इकट्ठा करना व आगे भीनमाल में अलग–अलग जगहों पर बेचना बताया। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त पेट्रोल अप्रार्थी के मालिकी स्वामित्व का है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से इकट्ठा करके बेचान किया जा रहा था। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 2250 लीटर पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 2250 लीटर पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner